रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D.(D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 25, 1983/भाद्र 3, 1905
No. 138] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 1983/BHADRA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1983

सार्वजनिक सूचना

सं प्रतिअदायगी/सा०सू० 21/83

फा०सं० 600/3807/82-प्र०अ०—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० स०602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी सा० सू० 50/82, दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपक्रमांक 3807 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा.—

उपक्रमांक	माल का विवरण	माल का विवरण	विनिधान	
			केन्द्रीय शुल्क	सीमा शुल्क
3807.	पीतल का कलात्मक सामान और इलेक्ट्रोप्लेटिड निकल सिल्वर (ईपीएनएस) का सामान।	13.45 रुपये (केवल तेरह रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।		सम्पूर्ण सीमाशुल्क

यह सार्वजनिक सूचना दिनांक 17 फरवरी, 1983 को प्रवृत्त हुई मानी जायेगी।

जैड० बी० नागरकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th August, 1983

PUBLIC NOTICE
No. DRAWBACK/PN-21/83

F. No. 600/3807/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules1 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India (Extra ordinary), dated the 25th August 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-50/82 dated the 1st June, 1982 :—

For Sub-serial No. 3807 and the entries relating thereto the following shall be substituted:—

S. No.	Description of goods	Rate of Drawback	Allocation Cus. C. Ex
3807.	Brass artware and electroplated nickel silver (EPNS) wares.	Rs. 13.45 (Rupees Thirteen and paise forty-five only) per kg.	ALL CUSTOMS

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 17th February, 1983.

Z.B. NAGARKAR, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983